


राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)



एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2018-19/ 1132 दिनांक : 07-01-2019

:: आदेश ::

वर्ष 2018-19 : चतुर्थ त्रैमास (01 जनवरी, 2019 से 31 मार्च, 2019) हेतु खाद्यान्न आवंटन

वर्ष 2018-19 के दौरान मिड डे मील कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु चतुर्थ त्रैमास (01 जनवरी, 2019 से 31 मार्च, 2019) के लिए राज्य के समस्त जिलों को उनके नाम के सामने लिखी गई मात्रानुसार खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) का आवंटन एतद्वारा किया जाता है।

(Quantities in Metric Tones)


S.N.	Name of District	Class 1 to 5			Class 6 to 8			Total		
		Wheat	Rice	Total	Wheat	Rice	Total	Wheat	Rice	Total
1	Ajmer	415.00	190.00	605.00	370.00	133.00	503.00	785.00	323.00	1108.00
2	Alwar	610.00	198.00	808.00	500.70	141.00	641.70	1110.70	339.00	1449.70
3	Banswara	590.00	190.00	780.00	165.00	82.00	247.00	755.00	272.00	1027.00
4	Baran	280.61	129.19	409.80	200.41	92.26	292.67	481.02	221.45	702.47
5	Barmer	715.00	210.00	925.00	555.00	180.00	735.00	1270.00	390.00	1660.00
6	Bharatpur	270.00	145.00	415.00	290.00	137.00	427.00	560.00	282.00	842.00
7	Bhilwara	520.00	190.00	710.00	500.00	145.00	645.00	1020.00	335.00	1355.00
8	Bikaner	400.00	185.00	585.00	307.00	129.00	436.00	707.00	314.00	1021.00
9	Bundi	240.84	108.41	349.25	213.49	93.71	307.20	454.33	202.12	656.45
10	Chittorgarh	290.00	130.00	420.00	245.00	124.00	369.00	535.00	254.00	789.00
11	Churu	260.00	145.00	405.00	250.00	131.00	381.00	510.00	276.00	786.00
12	Dausa	288.12	110.00	398.12	285.00	121.00	406.00	573.12	231.00	804.12
13	Dholpur	255.00	110.00	365.00	155.00	55.00	210.00	410.00	165.00	575.00
14	Dungarpur	460.00	182.00	642.00	427.11	135.00	562.11	887.11	317.00	1204.11
15	Ganganagar	308.45	138.84	447.29	280.00	124.57	404.57	588.45	263.41	851.86
16	Hanumangarh	250.12	117.99	368.11	257.14	112.87	370.01	507.26	230.86	738.12
17	Jaipur	687.70	285.00	972.70	597.70	214.00	811.70	1285.40	499.00	1784.40
18	Jaisalmer	190.00	105.71	295.71	141.61	62.16	203.77	331.61	167.87	499.48
19	Jalore	460.00	145.00	605.00	190.00	129.00	319.00	650.00	274.00	924.00
20	Jhalawar	340.00	145.00	485.00	270.00	121.52	391.52	610.00	266.52	876.52
21	Jhunjhunu	200.00	102.14	302.14	205.00	99.31	304.31	405.00	201.44	606.44
22	Jodhpur	420.00	285.00	705.00	170.00	152.00	322.00	590.00	437.00	1027.00
23	Karauli	255.00	136.24	391.24	190.00	98.91	288.91	445.00	235.15	680.15
24	Kota	145.00	70.00	215.00	140.00	60.00	200.00	285.00	130.00	415.00
25	Nagaur	535.62	145.00	680.62	540.00	225.00	765.00	1075.62	370.00	1445.62
26	Pali	395.00	135.00	530.00	380.00	153.00	533.00	775.00	288.00	1063.00

अतिआवश्यक

27	Partapgarh	277.15	124.75	401.90	241.56	106.03	347.59	518.71	230.78	749.49
28	Rajsamand	300.00	120.99	420.99	270.00	129.55	399.55	570.00	250.54	820.54
29	S.Madhapur	190.00	100.00	290.00	150.00	87.01	237.01	340.00	187.01	527.01
30	Sikar	260.00	120.00	380.00	260.00	108.00	368.00	520.00	228.00	748.00
31	Sirohi	220.00	109.00	329.00	180.00	90.00	270.00	400.00	199.00	599.00
32	Tonk	235.00	108.00	343.00	190.00	95.09	285.09	425.00	203.09	628.09
33	Udaipur	760.00	190.00	950.00	604.00	200.53	804.53	1364.00	390.53	1754.53
	Total	12023.61	4906.26	16929.87	9720.72	4067.52	13788.24	21744.33	8973.77	30718.10

आवंटित खाद्यान्न के उठाव के संबंध में निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

1. उक्त आवंटित खाद्यान्न का उठाव तुरन्त प्रभाव से प्रारम्भ कर दिनांक **25.03.2019** तक आवश्यक रूप से कर लिया जावे अन्यथा दिनांक **25.03.2019** के बाद यह आवंटन लैप्स हो जावेगा, किसी भी परिस्थिति में खाद्यान्न उठाव की अवधि नहीं बढ़ाई जावेगी।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रा.शिक्षा द्वारा पंचायत समितिवार (ब्लॉकवार) नामांकन के अनुसार आवंटित खाद्यान्न का उप आवंटन किया जाएगा। पंचायत समितिवार उप आवंटन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर, उपलब्ध अवशेष खाद्यान्न को समायोजित करते हुये ही किया जावे।
3. आवंटित खाद्यान्न का शत-प्रतिशत उठाव कर गंतव्य स्थानों तक उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ताकि चतुर्थ त्रैमास हेतु सभी विद्यालयों एवं केन्द्रीयकृत रसोईघर संचालक स्वयं सेवी संस्थाओं (एनजीओ) में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो सके।
4. परिवहनकर्ताओं के माध्यम से समस्त खाद्यान्न का विद्यालय स्तर तक वितरण सुनिश्चित किया जाए।
5. वर्ष 2018-19 के चतुर्थ त्रैमास में उठाए गये एवं उपयोग में लिए गए खाद्यान्न के उपयोग की सूचना एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्रों में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आयुक्तालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
6. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के चतुर्थ त्रैमास के लिए उठाए गये खाद्यान्न की NFSA (National Food Security Act) दरें (गेहूं के लिए 2 रु प्रति किलो एवं चावल के लिए 3 रु प्रति किलो) निर्धारित की गई हैं। अतः इस त्रैमास में उठाए गये खाद्यान्न का भुगतान NFSA दरों के अनुसार किया जावे।
7. यह स्वीकृति भारत सरकार के पत्र दिनांक **24.09.2018** के क्रम में जारी की गई है।
8. उपर्युक्तानुसार एवं नियमानुसार वांछनीय कार्रवाई करें।


अति.आयुक्त (वित्त)
मिड डे मील


दिनांक : 07-01-2019

एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2018-19/1132

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त जिला कलक्टर,।
2. सहायक महाप्रबन्धक (स्कन्ध एवं बिक्री), भारतीय खाद्य निगम, जयपुर।
3. समस्त जिला रसद अधिकारी,।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा,।
5. प्रभारी लेखा अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सूचना सहायक /प्रभारी आईटी सैल को एक प्रति भिजवाकर निर्देशित है कि खाद्यान्न के आवंटन आदेश को सम्बन्धित को मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com


उप निदेशक (प्रशासन)